



निर्धारित एस0ओ0पी0 का अनुपालन संबंधित जिलाधिकारी/नगर आयुक्त द्वारा सुनिश्चित किया जाय।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,12,53,000 (रुपये एक करोड़ बारह लाख तिरपन हजार मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2053000940500 स्थानीय निकायों के क्षेत्र में लगने वाले प्रान्तीयकृत मेलों एवं प्रदर्शनियों हेतु व्यवस्था मानक मद 20 सहायता अनुदान -सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय -व्ययक ) अनुभाग -1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,  
Digitally signed by  
DEVESH MISHRA  
Date: 06-02-2026  
17:16:31

(देवेश मिश्र)  
संयुक्त सचिव।

संख्या- /2026/ /019-comp no. 1957788, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0, प्रयागराज।
3. कोषाधिकारी, जिला अयोध्या।
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0 प्रयागराज।
5. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-9/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1/2।
6. सुपर वेब यूजर्स/कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग को एलाटमेंट/विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(देवेश मिश्र)  
संयुक्त सचिव।

## Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2025-2026  
आवंटन दिनांक-06/02/2026


प्रेषण संख्या:- 468  
आवंटन आदेश संख्या:- 001-468-2026-022-CN-1957788  
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2025-2026 का आवंटन)  
लेखाशीर्षक:- 2053 - जिला प्रशासन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

094 - अन्य स्थापनाएं  
05 - स्थानीय निकायों के क्षेत्र में लगाने वाले प्रान्तीयकृत मेलों एवं प्रदर्शनियों हेतु व्यवस्था

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	अयोध्या-4183-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	11253000 200810000	11253000 200810000
	योग	वर्तमान प्रगामी	11253000 200810000	11253000 200810000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़ बारह लाख तिरेपन हजार  
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया बीस करोड़ आठ लाख दस हजार

  
(देवेश मिश्र)  
संयुक्त सचिव